भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

नई दिल्ली
24 मार्च, 2021

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने "सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के निर्धारण" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की। यह निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च 2019 से सितंबर 2019 तक की गयी और जुलाई 2020 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ निष्कर्षों पर चर्चा की गई। इस प्रतिवेदन संख्या 16 को आज संसद में प्रस्तुत किया गया।

विहंगावलोकन

सहकारी समिति अधिनियम (राज्य अथवा केन्द्रीय अधिनियम) के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी समिति अथवा सहकारी बैंक को एक "निर्धारिती" के रूप में माना जाता है, जो आयकर का भुगतान करने के लिए दायी है तथा जिसका आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारण किया जाता है। यह विषय आयकर नेट में सहकारी समितियों की कवरेज; कर आधार का विस्तार करने एवं मजबूत बनाने तथा सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सीमा की जांच को ध्यान में रखते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा ने वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान पूर्ण किए गये सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के निर्धारणों को कवर किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार

- लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि संबंधित राज्यों/क्षेत्रीय विनियामक प्राधिकरणों/पंजीकरण प्राधिकरणों के अभिलेखों के अनुसार सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों की संख्या आयकर विभाग के अनुसार संख्या की तुलना में

बहुत अधिक थी, जो यह दर्शाती है कि कई सहकारी समितियां और बैंक आयकर विभाग के कर दायरे में नहीं थे।

(पैराग्राफ 2.1.1)

- आयकर विभाग के पास पंजीकरण प्राधिकरणों के साथ सहकारी समितियों/ बैंकों की जानकारी का नक्शा तैयार करने का तंत्र नहीं है ताकि आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति का सत्यापन किया जा सके। सहकारी समिति पंजीयक के डेटाबेस में पैन डालने और निर्धारिती द्वारा घोषित पंजीकरण स्थिति के किसी भी परिवर्तन की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, जो आयकर विभाग के साथ सूचनाओं के संस्थागत और संरचित आदान-प्रदान में एक प्रमुख बाधा है।

(पैराग्राफ 2.1.1)

- आयकर रिटर्न के नॉन-फाइलर्स/ स्टॉप-फाइलर्स के प्रति शुरू की गई कार्रवाई का कोई प्रमाण नहीं था। आयकर विभाग ने आयकर विवरणी गैर-फाइलर्स तथा स्टॉप-फाइलर्स की पहचान करने तथा उन्हें कर के दायरे में लाने के लिए सर्वेक्षण और खोज एवं जब्ती कार्यों के संचालन के माध्यम से इसके पास उपलब्ध उपकरणों का उपयोग नहीं किया।

(पैराग्राफ 2.5.1, 2.2)

- हालांकि सहकारी समितियों/ सहकारी बैंकों को एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (एओपी) के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि फर्मों, व्यष्टियों के निकाय (बीओआई), कंपनियों, स्थानीय प्राधिकरणों आदि के रूप में वर्गीकृत निर्धारिती सहकारी समितियों/ सहकारी बैंकों के निहितार्थ कटौतियों का अनियमित रूप से लाभ उठा रहे थे। इसमें सहकारी क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल निर्धारितियों से संबंधित गलत जानकारी प्रदान करने की भी संभावना है।

(पैराग्राफ 2.3, 3.1)

- लेखापरीक्षा में निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध जानकारी की तुलना में डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा प्रस्तुत डेटा सेटों के अनुसार आय और दावों या कटौती की राशि में विसंगतियों और त्रुटियों के मामले पाए गए। निर्धारण अभिलेखों के अनुसार डेटा और डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा प्रस्तुत निर्धारण

डेटा में बेमेलता न केवल खराब समन्वय और डेटा अद्यतन पर नियंत्रण का संकेत है बल्कि सूचना की सटीकता का भी एक प्रतिबिंब है।

(पैराग्राफ 2.4.2)

- लेखापरीक्षा में ऐसे मामले देखे गए जहां आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सहकारी क्षेत्र के मामलों में निर्धारितियों द्वारा उपयुक्त प्रपत्र अर्थात आईटीआर 5 का उपयोग नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 2.5.2)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि सहकारी समितियों/ सहकारी बैंकों के रूप में सत्व के पंजीकरण का सत्यापन अपर्याप्त था तथा रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ-साथ समितियों के सदस्यों के विवरण का प्रत्यक्ष प्रमाण या तो निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था या निर्धारण अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। इस प्रकार, ऐसे मामलों में, लेखापरीक्षा द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती थी कि क्या वास्तविक निर्धारितियों द्वारा कटौती प्राप्त की गई थी।

(पैराग्राफ 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3)

- सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के लेखाओं की एक पैनल लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने की आवश्यकता थी और इसका ब्यौरा आईटीआर-5 के माध्यम से एकत्र किया जाना था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि इस महत्वपूर्ण आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया। इस प्रकार, लेखाओं की विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(पैराग्राफ 2.6.4.1, 2.6.4.2)

- आयकर विभाग ने उन सत्वों का सहकारी बैंकों के रूप में निर्धारण किया जिनके पास बैंक के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से वैध लाइसेंस नहीं था जिससे अपात्र निर्धारितियों को कटौती की अनुमति हुई।

(पैराग्राफ 2.6.5)

- अधिनियम की धारा 36(1)(viiए), 36(1)(viii), 36(1)(xvii) तथा अधिनियम की धारा 80पी की विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत कटौतियों की अनियमित अनुमति के मामले थे, जहाँ पर उक्त प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं की गई जिसमें 649 मामलों में ` 694.50 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

(पैराग्राफ 3.1 से 3.7, 3.10, 3.11, 3.12)

- बैंकिंग, क्रेडिट तथा वित्तीय सेवाओं से जुड़े निर्धारितियों के संबंध में कटौती के अनियमित दावों की अपेक्षाकृत उच्च प्रवृत्ति थी जो पहचानी गई अनियमितताओं की कुल संख्या का 68.7 *प्रतिशत* बनती थी।

(पैराग्राफ 3.1)

- संवीक्षा निर्धारण करते समय, यह पाया गया कि निर्धारण अधिकारियों ने संवीक्षा के लिए मामलों में चयन अर्थात अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत बड़े कटौतियों के दावे के लिए आयकर विभाग द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों की विधिवत जाँच नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप कटौती की अनियमित अनुमति मिली।

(पैराग्राफ 3.1)

- विभिन्न उपधाराओं के बीच, जिसके अंतर्गत सहकारी/समितियां सहकारी बैंक कटौतियों का लाभ उठा सकते थे, यह देखा गया कि अधिनियम की उपधाराओं 80पी(2)(डी), 36(1)(viiए) तथा 80पी(2)(ए)(i) के अन्तर्गत अननुपालन का अपेक्षाकृत उच्च जोखिम था, जो लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई अनियमितताओं की कुल संख्या क्रमश: 56.55 *प्रतिशत*, 18.18 *प्रतिशत* और 17.72 *प्रतिशत* था।

(पैराग्राफ 3.1)

- पारस्परिकता के सिद्धांतों के अनुपालन के निर्धारण में मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा किया गया सत्यापन अपर्याप्त था। निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत कटौती के दावों के समान मामलों के निर्धारण में अलग-अलग कदम उठा रहे थे। इससे सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंको के निर्धारणों की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

(पैराग्राफ 3.2.3)

- कटौती के दावे की अननुमति के लिए मुख्य कारण निर्धारिती थे जो या तो सहकारी समितियों के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट गतिविधियों में नहीं लगे हुए थे या मुख्य गतिविधि या व्यवसाय की तुलना में छोटे अनुपात में लगे हुए थे। इससे पारस्परिकता के सिद्धांतों पर आधारित काम न करने वाले का सत्वों का मुख्य जोखिम हुआ, गलत तरीके से लाभों का दावा किया गया तथा सहकारी समितियों पर प्रभावी प्रावधानों का संभावित दुरूपयोग हुआ।

(पैराग्राफ 3.8)

- निर्धारण अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भूमि विकास बैंकों और कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों के रूप में वर्गीकृत निर्धारितियों के निर्धारण को पूरा

करते हुए अधिनियम की धारा 80पी के अन्तर्गत दावित कटौती की अनुमति के विभेदक दृष्टिकोण को अपना रहें हैं।

(पैराग्राफ 3.9)

- जिस आय की प्रकृति पर सहकारी समितियों द्वारा कटौती का दावा किया जा रहा है, उसकी निगरानी के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। सहकारी समितियों द्वारा कटौती के दावे पर आय की अधिनियम की धारा 80पी की उपधारा के संबंध में कोई जानकारी इकट्ठा नहीं करता, जिसके आधीन निर्धारती अधिनियम की धारा 80पी के तहत कटौती का दावा करता है।

(पैराग्राफ 3.10.1)

- अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत की गई कटौती के विशिष्ट तथा वास्तविक दावे को आईटीआर के मौजूदा प्रारूप में नहीं लिया गया है।

(पैराग्राफ 3.11)

- लेखापरीक्षा ने 858 मामलों में ` 12,328.40 करोड़ के कर प्रभाव वाली कटौतियों/ व्ययों/ समंजन की अनुमति और हानियों को अग्रेनीत करने पर कर और ब्याज की संगणना में गलतियों, टीडीएस की गैर-कटौती, शास्ति के गैर-उद्ग्रहण आदि के संबंध में अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अननुपालन के उदाहरणों को देखा। यह ध्यान देना तर्कसंगत है कि निर्धारण प्रक्रिया स्वचालित थी और निर्धारण आयकर विभाग की प्रणालियों और अनुप्रयोगों के माध्यम से पूरे किये जा रहे थे। यह निर्धारण प्रक्रिया और आयकर विभाग की आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरियों की ओर संकेत करता है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 4.1, 4.2, 4.3, 4.14)

- 20.7 *प्रतिशत* मामले (151 अभ्युक्तियां) उन सत्वों से संबंधित हैं जो एओपी के रूप में पंजीकृत नहीं थे। पैन पंजीकरण में एकरूपता के अभाव में निर्धारितियों के समान वर्ग की श्रेणी, सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किए गए इस मामले में, आयकर विभाग अपने पास उपलब्ध आंकड़ों से सार्थक जानकारी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होगा।

(पैराग्राफ 4.1)

- संवीक्षा के दौरान मामलों की पर्याप्त जांच नहीं की गई थी। संवीक्षा निर्धारण मामलों में से 131 मामलों में, जहां चयन के लिए मानदंड 'अधिनियम के अध्याय VIए के तहत बड़ी कटौतियां थी, उसकी पर्याप्त रूप से जांच नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 4.1)

- लेखापरीक्षा में मांग को उठाने के ऐसे दृष्टांत पाए गए जहां निर्धारण के विभिन्न चरणों में रिटर्न की गई आय निर्धारण की गई आय के बराबर थी, अर्थात आईटीआर का इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण, सुधार, पुनर्निधारण आदि लेखापरीक्षा ने इन मांगों को उठाने के लिए अनेक कारणों को देखा जैसे आईटीआर चरण के प्रसंस्करण में पूर्व प्रदत्त करों का लेखांकन, गलत शीर्ष के तहत जमा किए गए अग्रिम कर को सीपीसी बेंगलुरू द्वारा भुगतान के रूप में नहीं माना जाना आदि। ऐसे मामले इस तथ्य की ओर संकेत करते है कि दावों और भुगतानों के डेटा को निर्धारण के समय में मिलान नहीं किया गया है।

(पैराग्राफ 4.12)

- लेखापरीक्षा ने निर्धारण के दौरान किए गए उच्च मूल्य परिवर्धनों से जुड़े मामलों की जांच की और उन उदाहरणों को देखा जहां अधिनियम की धारा 80पी(4) के तहत कटौती के दावे को इस बहाने पर अस्वीकृत किया गया था कि सहकारी समिति बैंकिग कारोबार में लगी हुई थी। मौजूदा गतिविधि कोड सहकारी बैंको को प्राथमिक कृषि साख समितियों (पीएसीएस) से अलग नहीं करते है। आयकर विभाग को प्रभावी निगरानी के लिए कारोबार या गतिविधि की प्रकृति के अनुसार कोड आवंटित करना चाहिए।

(पैराग्राफ 4.13)

सिफारिशों का सार

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की है कि:

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अपने डेटाबेस में पैन की सीडिंग की शुरुआत करने और सूचनाओं के संरचित और संस्थागत आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों को नियंत्रित करने वाले केंद्रीय और राज्य स्तरीय पंजीकरण निकायों और नियामक प्राधिकरणों से अनुरोध करने पर विचार कर सकता है। निर्धारिती की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का पता लगाने और निगरानी करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार की जा सकती है।*

(पैराग्राफ 2.1.1)

- *कर अपवंचन का पता लगाने के लिए नॉन-फाइलर्स/स्टॉप-फाइलर्स के प्रति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू की जाए। सर्वेक्षण का उपयोग उन सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों की पहचान करने के लिए किया जाए जो अभी भी कर के दायरे से बाहर हैं और उन्हें कर के दायरे में लाया जाए।*

(पैराग्राफ 2.2.1, 2.2.2)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकता है कि आयकर विभाग सहकारी समितियों को पैन आवंटित करते समय किए गए अपने नाम और गतिविधि की तुलना में आवेदक की वास्तविक स्थिति की जांच करे। निर्धारितियों द्वारा प्राप्त छूटों की आसानी से पहचान और निगरानी करने के लिए, आयकर विभाग सहकारी समिति के पैन के साथ चौथे अक्षर के रूप में 'ए' को जोड़ने पर विचार कर सकता है। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि निर्धारितियों की स्थिति में परिवर्तन की पर्याप्त जांच की जाए।*

(पैराग्राफ 2.3, 3.1)

- *रजिस्ट्रार द्वारा सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र और सदस्यों के विवरण का प्रत्यक्ष प्रमाण निर्धारण पूरा करने के लिए आवश्यक है। आयकर विभाग निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है और साथ ही आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।*

(पैराग्राफ 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निर्धारण अधिकारियों को यह अनुदेश दे कि वे सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के खातों को तभी स्वीकार करें जब उनकी लेखापरीक्षा पैनल में शामिल लेखापरीक्षकों द्वारा की गई हो। इसके अलावा, इस नियामकीय आवश्यकता का अनुपालन न करने के मामलों की सूचना संबंधित नियामक प्राधिकरणों (सहकारी समिति पंजीयक, भारतीय रिजर्व बैंक आदि) को दी जाए।*

(पैराग्राफ 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सिस्टम में कमजोरियों को खत्म करने के उद्देश्य से निर्धारण अभिलेखों के अनुसार डेटा तथा आयकर विभाग के बीच बेमेलता के होने के कारणों की जांच करें। आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।*

(पैराग्राफ 2.4)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड उन मामलों में शुरू की गई कार्रवाई की जांच करें जहां सहकारी क्षेत्र में निर्धारितियों द्वारा गलत आईटीआर फॉर्म दायर किए गए थे और यह सुनिश्चित करें कि सीपीसी बेंगलुरु में आईटीआर प्रसंस्करण*

चरण में ऐसे रिटर्न को अमान्य के रूप से व्यवहारित किया जाए। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के रूप में अनुमेय कटौती के दावे, यदि कोई हो, तो उसे अस्वीकृत किया जाए।

(पैराग्राफ 2.5.2)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सहकारी समितियों के संवीक्षा निर्धारणों के दौरान पारस्परिकता के सिद्धांतों की जाँच के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार कर सकता है। यह सहकारी समिति के निर्धारण के लिए नियमित सदस्यों के रूप में असमान अधिकारों के साथ जुड़े हुए तथा नाम-मात्र और सहयोगी सस्दयों के पंजीकरण की प्रक्रिया को संबोधित करने के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाने पर विचार कर सकता है जो पारस्परिकता के सिद्धांत को विफल करता है।*

(पैराग्राफ 3.2.3)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय की जांच करते समय भी सहकारी समिति द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति की प्रभावी निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार कर सकता है जिस पर सहकारी समितियों/बैंको द्वारा कटौती दावा किया जा रहा है ताकि पात्र निर्धारितियों के दावे की अनुमति को सुनिश्चित किया जा सके।*

(पैराग्राफ 3.8)

- *दावों की प्रभावी निगरानी, अपात्र दावों की संभावना कम करने के लिए तथा केवल पात्र निर्धारितियों को कटौती की अनुमति सुनिश्चित करने के लिए निर्धारिती के गतिविधि कोड तथा स्टेटस कोड को अधिनियम की उपधाराओं 80पी तथा 36(1) के साथ जोड़ा जा सकता है जिसके अंतर्गत आयकर रिटर्न फाइल करने के चरण पर कटौती का दावा किया जाता है। निर्धारण के दौरान जिन मामलों में अयोग्य गतिविधियों में लगे निर्धारितियों द्वारा दावा की गई कटौती को अस्वीकार कर दिया गया था, उनका उपयोग अनुवर्ती वर्षों में संवीक्षा के लिए चयन में प्राथमिकता प्रदान करने के लिए गतिविधियों, क्षेत्र और निर्धारितियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। इसकी सूचना संबंधित नियामक प्राधिकरणों (भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी समिति पंजीयक आदि) को भी दी जाए।*

(पैराग्राफ 3.10)

- *अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत की गई कटौती के वास्तविक दावे को कटौती के प्रभाव के निर्धारण, बेहतर प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस), बेहतर निगरानी के लिए आईटीआर फार्म की प्रासंगिक अनुसूची में ग्रामीण अग्रिम तथा कुल आय पर कटौती के अलग आंकड़ों/विवरणों के साथ दर्ज़ किया जा सकता है क्योंकि मौजूदा प्रारूप में वास्तविक दावे को दर्ज़ नहीं किया जा रहा है।*

(पैराग्राफ 3.11.2)

- *अधिनियम के अंतर्गत धाराओं तथा निर्धारितियों के वर्गों, जहाँ दावों की अनियमित अनुमति की संभावना अधिक थी, की पहचान तथा निगरानी की जानी चहिए। आयकर विभाग कटौतियों की अनियमित अनुमति की पुनरावृति को रोकने के लिए निर्धारण अधिकारियों के उपायो के लिए उसकी रूपरेखा की एक जाँच सूची तैयार कर सकता है।*

(पैराग्राफ 3.1 से 3.7)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समान स्थितियों में समान कानून को लागू करने में व्यापक भिन्नताओं के कारणों की जाँच कर सकता है तथा यदि आवश्यक हो तो, सहकारी क्षेत्र में समान गतिविधियों में लगे हुए निर्धारितियों के समान वर्ग के निर्धारण में एकरूपता तथा अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नियामक निकायों के अनुसार सहकारी बैंकों की संरचना के तहत वर्गीकरण के अनुसार ऐसे निर्धारितियों के निर्धारण को संरेखित करने के लिए नियामक निकायों के साथ समन्वय भी कर सकता है। निर्धारण प्रक्रिया के दौरान देखे गए सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवसाय में संलग्न अपात्र निर्धारितियों को स्वीकार्य कटौती का दावा करने वाले अयोग्य निर्धारण के मामलों की सूचना नियामक प्राधिकरणों (भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी समिति पंजीयक आदि) को दी जाए।*

(पैराग्राफ 3.9)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए कि कटौती की अनुमति केंद्रीय और राज्य स्तर पर चीनी के मूल्य निर्धारण के संबंध में सरकारी नीतियों के अनुसार*

हो, धारा 36(1)(xvii) के तहत चीनी विनिर्माण सहकारी समितियों द्वारा किए गए दावों के निर्धारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर सकता है।

(पैराग्राफ 3.13)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड त्रुटियों के कारणों का पता लगाने के लिए आय, कर, ब्याज आदि की संगणना में त्रुटियों और अनियमितताओं से जुड़े निर्धारणों को पुनरीक्षण कर सकता है और परिहार्य त्रुटियों की संभावना को समाप्त करने और निर्धारण अधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत आईटी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र रख सकते है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए एक गुणवत्ता पूर्ण आश्वासन तंत्र पेश कर सकता है कि कर की गणना में त्रुटियां कम से कम की जाए।*

  (पैराग्राफ 4.2 से 4.10)

- *अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों होने के बावजूद अस्वीकार्य दावों और व्यय की मदों और कटौतियों की अनियमित अनुमति के कारणों की केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समीक्षा की जा सकती है। आयकर विभाग अनियमित अनुमति की उच्च प्रवृत्ति के साथ व्ययों और कटौतियों की मदों की पहचान कर सकता है और निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनियमित अनुमति की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपयोग के लिए एक जांच बिंदु की रूपरेखा तैयार कर सकता है।*

  (पैराग्राफ 4.4)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह पता लगा सकता है कि क्या त्रुटियां/अनियमितताएं भूल वश हुई गलतियां है और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। आयकर विभाग त्रुटियों और अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय कर सकता है।*

  (पैराग्राफ 4.2 से 4.10)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकता है कि आयकर विभाग को दावों और भुगतानों में अन्तर का निपटान करने के लिए सक्रिय रूप से सीपीसी बैंगलुरू के माध्यम से दावों के मिलान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसी के गैर-मिलान की संभावनाओं से बचने के लिए साधन विकसित करने चाहिए।*

  (पैराग्राफ 4.12)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति के अनुसार कटौती के दावों की प्रभावी निगरानी के लिए*

निर्धारण के दौरान अभिनिश्चित किए गए कारोबार या गतिविधि की प्रकृति के अनुसार कोड को निर्दिष्ट/अद्यतन करने पर विचार कर सकता है।

(पैराग्राफ 4.11)

- *आईटीआर-5 में एक सहकारी समिति के सभी सदस्यों की सूची उनके पैन के साथ पिछले वर्ष की रिटर्न दाखिल करने के निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक हो सकती है सहकारी समितियों द्वारा एक सीमा राशि से ऊपर प्राप्त की गयी जमा राशि के लिए पैन का उद्धरण अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अलावा, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रसंभाव्य वित्तीय अनियमितताओं की निगरानी को सरल बनाने के लिए विनियामक प्राधिकरणों (भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी समिति पंजीयक आदि) को अस्पष्टीकृत नकदी साख की महत्वपूर्ण मात्रा वाले उदाहरणों की रिपोर्टिंग करने पर विचार कर सकता है।*

  (पैराग्राफ 4.9)

  लेखापरीक्षा के अवलोकन तथा सिफारिशों के लिए विभाग की प्रतिक्रिया की लेखापरीक्षा की आगामी टिप्पणियों के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में चर्चा की गई है।

BSC/SS/DS/TT